कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड

"महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195
फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

OGP

पत्रांक:-पी.ए./पेंशन/मंहगाईराहत/उत्तराखण्ड/2023-24/45 EV 920608545 IN

दिनांक 4/04/2024

626974
17/4/24

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	[illegible]
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	राँची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

प्रधान महालेखाकार (ले.एवं.ह.)
Office of the Pr. Accountant General
INWARD
16 APR 2024
No.
आंध्रा प्रदेश, विजयवाड़ा
Andhra Pradesh, Vijayawada-520 002

SCANNED

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखंड

"महालेखाकार भवन" कौलागढ देहरादून-248195

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 23-24/ दिनांक: /04/ 2024

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय-1. राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

विषय-2. राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

विषय-3. राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

विषय-4. राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संदर्भ:-(1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 199033/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 14.03.2024 |

संदर्भ:-(2) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 199032/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 14.03.2024 |

संदर्भ:-(3) अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 182100/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 13.01.2024 |

संदर्भ:-(4) अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:- 182101/XXVII(7)/E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 13.01.2024 |

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं | आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 4/4/24

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department

I/182100/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या–182100/XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून, दिनांक: 13 जनवरी, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांकः 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–126937/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 02 जून 2023 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 42% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/4/2023-E-II(B) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01–07–2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 46% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांकः 01 जुलाई, 2023 से दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023 तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 जनवरी, 2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

Signed by Ganga Prasad
Date: 13-01-2024 10:45:53

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या–182100(1)/XXVII(7)/E-22807/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध

 में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
14. [illegible] आयुक्त, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
16. निदशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

FIN7-B/1/1/2022-XXVII-7-Finance Department

I/182101/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–182101 / XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून: दिनांक: 13 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126934 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01–07–2023 से 42 प्रतिशत के स्थान पर 46 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 /दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No-182101 /XXVII(7)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 13 January, 2024

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2023 @ 46% instead of 42 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 126934/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 02 Jun, 2023 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Ganga Prasad
Date: 13-01-2024 10:52:06

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.

संख्या- 182101(1)/ XXVII(7)/E-22807/2022, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।

8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

No. 182101(1)/XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.
Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.

2-All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.

4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.

5- All Heads of Departments/Offices, Uttarakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7- Director, Treasury, Pension and Hakdari, Utatrakhand.

8- Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.

9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.

10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand Please.

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.

D.No-2366
199033/4 21/3/24

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7
संख्याः 199033 / XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादून, दिनांकः 14 मार्च, 2024

कार्यालय—ज्ञाप

विषयः राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांकः 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 182100 / XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांकः 13 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांकः 01.07.2023 से 46% की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या—1 / 1 / 2024—ई.—II(बी) दिनांकः 12.03.2024 के क्रम में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित् कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांकः 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46% को बढ़ाकर 50% प्रतिमाह किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2024 से 29.02.2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01.03.2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जाएगी।

5. उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत् अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 14-03-2024 19:08:23

सचिवालय महालेखाकार
डायरी सं. 2937
दिनांक 22 MAR 2024
उत्तराखण्ड, देहरादून

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः199033 (1) / XXVII(7)/E-22807/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उपमहालेखाकार निधि प्रकोष्ठ
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी संख्या 2900

199033/2024 प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
17. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 14-03-2024 19:19:21
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

199032/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्याः 199032/ XXVII(7)/E-22807/2022
देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–182101/XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांकः 13 जनवरी, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01–01–2024 से 46% प्रतिशत के स्थान पर 50% प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No-199032/ XXVII(7)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 14 March, 2024

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2024 @ 50% instead of 46% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 182101/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 13 January, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commission.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 14-03-2024 19:05:58

(Dilip Jawalkar)
Secretary.

199032/2024

EN 920608545IN

संख्या–199032/ XXVII(7)/E-22807/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

No.199032/ XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
2-All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.

3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admissibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
8- Director, Departmnantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.

10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand Please.

By Order,

Signed by Ganga Prasad
Date: 14-03-2024 19:18:29

(Ganga Prasad)

Additional Secretary.